पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 04.06.2026

मिशन शक्ति 5.0-"सुरक्षित समाज की पहचान – सशक्त महिला, जागरूक इंसान!"

थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र बिजनौर में जाकर महिलाओं एवं बच्चों को महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर. साइबर अपराध से बचाव, यूपी-कॉप ऐप तथा यातायात नियमों की दी गई जानकारी।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक आराधना वर्मा थाना बिजनौर लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला मुख्य आरक्षी अनीता देवी थाना बिजनौर लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना क्षेत्र बिजनौर।

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक आराधना वर्मा थाना बिजनौर लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला मुख्य आरक्षी अनीता देवी थाना बिजनौर लखनऊ
- थाना क्षेत्र बिजनौर में जाकर महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **04.06.2026** को थाना बिजनौर पुलिस की **एंटी रोमियो टीम** द्वारा थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं एवं आमजन को महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

अभियान के दौरान **उप निरीक्षक आराधना वर्मा** एवं **हेड महिला आरक्षी अनीता देवी** द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों को **महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, साइबर क्राइम से बचाव, यूपी कॉप (UP COP) ऐप** तथा पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न जनहितकारी सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को **आपातकालीन सेवा-112, महिला हेल्पलाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076** सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करने हेतु जागरूक किया गया।

साथ ही **ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं डिजिटल सुरक्षा** के संबंध में जागरूक करते हुए साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930** पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस से तत्काल संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

“मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज, मिशन शक्ति का यही प्रयास”

थाना इंदिरानगर क्षेत्र के अंतर्गत वी-मार्ट खुर्रमनगर में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक- 04.06.2026

लखनऊ, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना इंदिरानगर क्षेत्र में बुद्धवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

मिशन शक्ति टीम :थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट ।

- ✓ **महिला उपनिरीक्षक श्रीमती तारा यादव**
- ✓ **महिला उपनिरीक्षक सीमा रानी**
- ✓ **महिला आरक्षी रेखा कुमारी**

स्थान :वी-मार्ट, खुर्रमनगर, लखनऊ

आयोजक टीम-

मिशन शक्ति टीम :थाना इंदिरानगर लखनऊ कमिश्नरेट ।

- ✓ **महिला उपनिरीक्षक श्रीमती तारा यादव**
- ✓ **महिला उपनिरीक्षक सीमा रानी**
- ✓ **महिला आरक्षी रेखा कुमारी**

स्थान :वी-मार्ट, खुर्रमनगर, थाना इंदिरानगर क्षेत्र, लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की गई

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **04.06.2026** को **वी-मार्ट, खुर्रमनगर** में महिलाओं को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम के दौरान **महिला उपनिरीक्षक श्रीमती तारा यादव, महिला उपनिरीक्षक सीमा रानी एवं महिला आरक्षी रेखा कुमारी** द्वारा उपस्थित महिलाओं को **महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति अभियान, मिशन शक्ति केंद्र तथा पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

महिलाओं को **आपातकालीन सेवा-112, महिला हेल्पलाइन-1090 एवं साइबर हेल्पलाइन-1930** के संबंध में जागरूक करते हुए आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही **यूपी कॉप (UP COP) ऐप** के विभिन्न फीचर्स एवं उसके उपयोग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को **साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग** के संबंध में जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर **1930** पर शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्पलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 04.06.2026

मिशन शक्ति 5.0-समाज की नई चेतना, साइबर सुरक्षा है अब हमारी जिम्मेदारी!"

थाना कृष्णानगर की टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत सिंधी गर्ल्स कॉलेज, थाना कृष्णानगर में छात्राओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, यातायात माह और महिला कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत टीम द्वारा **सराफा क्षेत्र, थाना कृष्णानगर** में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

यह जागरूकता कार्यक्रम **सराफा क्षेत्र, थाना कृष्णानगर** में चलाया गया, जिसमें महिला, छात्राओं और बच्चों को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को **सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी सहायता, सेवाओं** के प्रति जागरूक करना था।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहा मंगल बाजार में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/आयोजन स्थान -

महिला बीट टीम, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ

- **महिला उपनिरीक्षक निशा शर्मा**
- **महिला मुख्य आरक्षी मंजू सिंह**
- **महिला आरक्षी मनीषा गौतम**
- **महिला आरक्षी प्रियंका**

स्थान : सिंधी गर्ल्स कॉलेज, कृष्णा नगर, लखनऊ

प्रतिभागी: -

महिला बीट टीम, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ

- **महिला उपनिरीक्षक निशा शर्मा**
- **महिला मुख्य आरक्षी मंजू सिंह**
- **महिला आरक्षी मनीषा गौतम**
- **महिला आरक्षी प्रियंका**

स्थान : सिंधी गर्ल्स कॉलेज, कृष्णा नगर, लखनऊ क्षेत्र में छात्राओं को जागरूक करने हेतु जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

आज दिनांक 04.06.2026 को **मिशन शक्ति अभियान** एवं **महिला बीट अभियान** के अंतर्गत थाना कृष्णा नगर पुलिस द्वारा **सिंधी गर्ल्स कॉलेज** में छात्राओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में **महिला उपनिरीक्षक निशा शर्मा**, **महिला मुख्य आरक्षी मंजू सिंह**, **महिला आरक्षी मनीषा गौतम** एवं **महिला आरक्षी प्रियंका** द्वारा छात्राओं को **महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा, गुड टच-बैड टच, महिला अधिकारों तथा विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

छात्राओं को **महिला हेल्पलाइन-1090, आपातकालीन सेवा-112, महिला हेल्पलाइन-181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 एवं साइबर हेल्पलाइन-1930** के बारे में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति अथवा उत्पीड़न की घटना होने पर तत्काल इन सेवाओं का उपयोग करें एवं पुलिस को सूचना दें।

महिला पुलिस टीम द्वारा छात्राओं को **सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग**, **साइबर ठगी से बचाव**, **ऑनलाइन फ्रॉड**, **फर्जी लिंक एवं ओटीपी शेयर न करने** संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का विरोध करने तथा बिना किसी संकोच के पुलिस से सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से संवाद स्थापित कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें **सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन** के प्रति जागरूक किया गया।

थाना कृष्णा नगर पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष एवं महत्व

1. सामुदायिक जुड़ाव एवं सीधा संवाद: यह आयोजन पुलिस प्रशासन और समुदाय विशेषकर महिलाओं के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ। अवध चौराहा जैसे सार्वजनिक स्थल पर आयोजन ने आम महिलाओं तक सीधे पहुंचना संभव बनाया।

2. जागरूकता का सीधा प्रसार: कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और उनके उपयोग की सीधी जानकारी प्रदान की गई। इससे उन्हें आपात स्थितियों में त्वरित और सही कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

3. महिला सुरक्षा संसाधनों से परिचय: थाना स्तर पर उपलब्ध महिला सुरक्षा केंद्र और हेल्प डेस्क जैसे विशेष संसाधनों के बारे में लोगों को अवगत कराना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे महिलाओं का पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वे शिकायत दर्ज करने में कम झिझक महसूस करेंगी।

4. सरकारी योजनाओं तक पहुंच: महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न राज्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनके अधिकारों और उपलब्ध लाभों के प्रति जागरूक किया गया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है।

5. मिशन शक्ति अभियान की सार्थकता: यह कार्यक्रम "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक सफल प्रयास था। इससे स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता केवल कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं है।

6. सतत प्रयास का आधार: पम्पलेट वितरण जैसी पहल ने इस जागरूकता को एक स्थायी रूप दिया है, जिससे महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर इन जानकारियों का संदर्भ ले सकेंगी। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था, जिसने महिला सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक और ठोस प्रभाव छोड़ा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 04.06.2026

मिशन शक्ति 5.0 "शिक्षा की रोशनी, सुरक्षा की शक्ति, मड़ियांव पुलिस के साथ मिशन शक्ति!"

थाना मड़ियांव टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत चौकी नौबस्ता एवं राम-राम बैंक झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र, थाना मड़ियांव, लखनऊ में, थाना मड़ियांव में महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करके यातायात एवं यूपी-कॉप (UP-COPS) के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- **उपनिरीक्षक मोहम्मद रफअत उल्लाह**, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- **महिला कांस्टेबल दिव्या शुक्ला**, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- **महिला कांस्टेबल किरन**, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।

स्थान :चौकी नौबस्ता एवं राम-राम बैंक झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र, थाना मड़ियांव, लखनऊ

प्रतिभाग-

- **उपनिरीक्षक मोहम्मद रफअत उल्लाह**, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- **महिला कांस्टेबल दिव्या शुक्ला**, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- **महिला कांस्टेबल किरन**, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।

स्थान :चौकी नौबस्ता एवं राम-राम बैंक झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र, थाना मड़ियांव, लखनऊ में करीब 30-40 महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **04.06.2026** को **श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना मड़ियांव** के निर्देशन में थाना मड़ियांव की मिशन शक्ति टीम द्वारा **चौकी नौबस्ता क्षेत्र एवं राम-राम बैंक झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र** में महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को **महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर अपराधों से बचाव एवं यूपी कॉप ऐप** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को **आपातकालीन सेवा-112, महिला हेल्पलाइन-1090, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, अग्निशमन सेवा-101** सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनका निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को **ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध एवं साइबर ठगी** से बचाव के संबंध में जागरूक करते हुए **साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930** की जानकारी भी दी गई तथा किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया गया।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुझाव दिए गए तथा उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य:

1. सुरक्षा एवं सजगता: महिलाओं एवं छात्राओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा) से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना।
2. हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार: महिला हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 (वूमेन पावरलाइन), और 181 (महिला हेल्पलाइन) जैसे महत्वपूर्ण नंबरों से अवगत कराना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
3. शिक्षा का महत्व: लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शैक्षिक अधिकारों के प्रति सजग करना।
4. कानूनी अधिकारों की जानकारी: महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों (जैसे POCSO अधिनियम) की जानकारी देना।
5. सामुदायिक सहयोग: पुलिस और समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाकर एक सुरक्षित माहौल बनाना।

निष्कर्ष

मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय और सतत प्रयास है। यह अभियान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनने का प्रयास है। महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन सुविधाओं से अवगत कराकर यह अभियान उन्हें आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-922
दिनांक-04.06.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देने वाले 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी परीक्षा मे अभियुक्तगण से कूटरचित आधार कार्ड आदि प्रपत्र बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी प्रो0 राजीव कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 मंगल प्रसाद त्रिपाठी , प्राचार्य /केन्द्राध्यक्ष ,डी.ए.वी. डिग्री कालेज , ब्लाक A , मोतीनगर थाना नाका हिण्डोला लखनऊ की तहरीरी सूचना पर-

1. मु0अ0सं0-92/2026 धारा-3(5)/319(2)/318(4)/338/336(3) /340(2) बीएनएस व 8/13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना नाका हिण्डोला लखनऊ, बावत अभियुक्त रंगबहादुर यादव पुत्र स्व0कल्लू राम यादव उर्फ काल्लू राम यादव निवासी कटेहरी थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज उम्र 43 वर्ष द्वारा फर्जी आधार कार्ड व प्रवेश पत्र व प्रपत्र CR–8 अभ्यर्थी अवध राज यादव पुत्र उमा शंकर यादव नि0 ग्राम उगापुर बरास्ता कलां थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज उम्र 38 वर्ष के नाम से बनाकर फर्जी तरीके से टीजीटी की द्वितीय पाली में परीक्षा देने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

02-कार्यवाही का विवरणः-

थाना नाका पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रंगबहादुर यादव पुत्र स्व0कल्लूराम यादव निवासी कटेहरी सरायममरेज प्रयागराज उम्र 43 वर्ष को गिरफ्तार किया गया पूछताछ मे अभियुक्त रंगबहादुर यादव द्वारा बताया गया कि अपने दोस्त सहअभियुक्त अवध राज यादव के साथ मिलकर आधार कार्ड व प्रवेश पत्र मे कूटरचना करके पेपर देने सेन्टर पर गया था अभियुक्त अवध राज यादव पुत्र उमा शंकर यादव नि0 ग्राम उगापुर बरास्ता कलां थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज उम्र 38 वर्ष का नाम प्रकाश मे आया मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त अवध राज यादव की गिरफ्तारी आज दिनांक 04.06.2026 को दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार करते हुए दोनो गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- रंगबहादुर यादव पुत्र स्व0कल्लू राम यादव उर्फ कालू राम यादव निवासी कटेहरी थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज उम्र 43 वर्ष

02-अवध राज यादव पुत्र उमा शंकर यादव नि0 ग्राम उगापुर बरास्ता कलां थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज उम्र 38 वर्ष

04-अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 92/2026 धारा- 3(5)/319(2)/318(4)/338/336(3) /340(2) बीएनएस व 8/13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना नाका हिण्डोला , कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अभिनव कुमार वर्मा थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
2. उ0नि0 रवीश भाटी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
3. उ0नि0 रविपाल सिंह थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-923
दिनांक-04.06.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

➢ ***थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या में वांछित अभियुक्तगण (पति , देवर और सास) को किया गया गिरफ्तार।***

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.06.2026 को वादी विनोद साह (भुर्जी) पुत्र स्व0 गुलऊ (निवासी: चौधरी टोला, सीतापुर) द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित सूचना दी गई कि उन्होंने अपनी बहन (पूजा) की शादी 03 वर्ष पूर्व शुभम पुत्र बालगोपाल के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति, सास और देवर द्वारा मोटरसाइकिल व कम दहेज को लेकर पूजा को लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

दिनांक 02.06.2026 को उपरोक्त ससुराल वालों ने पूजा को फांसी लगाकर जान से मार दिया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में मुकदमा अपराध संख्या 136/2026 धारा- 85/80(2)/92 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगणों की तलाश पतारसी जारी थी जिसमें आज दिनांक 04.06.2026 को अभियोग उपरोक्त मे वांछित अभियुक्तगण को मुखबिर खास की सटीक सूचना पर काकोरी कवाबी के गली के पास से अभियुक्तगण 1.शुभम (पति) पुत्र स्व0 बालगोपाल निवासी डाक्टर कार के सामने रिवर बैंक कालोनी नाले के किनारे थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष, 2. मीना (सास) पत्नी स्व0 बालगोपाल निवासिनी डाक्टर कार के सामने रिवर बैंक कालोनी नाले के किनारे थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष 3. बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 12.45 बजे पर काकोरी कवाब वाली गली के पास रोड से गिरफ्तार/सरक्षंण में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपद/इकाईयों/थानों से जानकारी की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि कभी भी हम लोगों ने दहेज के लिये प्रताड़ित नहीं किया लेकिन फिर भी न जाने क्यूँ उसने फाँसी लगाकर सुसाइड कर लिया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शुभम (पति) पुत्र स्व0 बालगोपाल निवासी डाक्टर कार के सामने रिवर बैंक कालोनी नाले के किनारे थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष,
2. श्रीमती मीना (सास) पत्नी स्व0 बालगोपाल निवासिनी डाक्टर कार के सामने रिवर बैंक कालोनी नाले के किनारे थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष
3. 01 नफर बाल अपचारी

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 136/2026, धारा- 85/80(2)/92 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना वजीरगंज लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ ।
4. हे0का0 उमेश चन्द्र थाना वजीरगंज लखनऊ ।
5. म0का0 सुजाता थाना वजीरगंज लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

ANTI HUMAN TRAFFICKING

प्रेस नोट सं0-918

दिनांक-04.06.2026

अपराध शाखा /थाना ए.एच.टी. कमि0 लखनऊ

- **एएचटीयू, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा लगभग 10 माह से गुमशुदा बालक को नई दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया।**

01-कार्यवाही का विवरण-

गुमशुदा बच्चों की खोज एवं मानव तस्करी की रोकथाम हेतु कमिश्नरेट लखनऊ की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना गुड़म्बा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-300/2025 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित 12 वर्षीय गुमशुदा बालक को लगभग 10 माह बाद नई दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 01.08.2025 को बालक के घर से लापता होने के संबंध में थाना गुड़म्बा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना एएचटीयू को हस्तांतरित होने के उपरांत बालक की तलाश हेतु लगातार तकनीकी विश्लेषण, सर्विलांस, विभिन्न राज्यों से समन्वय तथा मानव स्रोतों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे।

दिनांक 03.06.2026 को बालक द्वारा एक अज्ञात मोबाइल नंबर से अपने पिता को फोन कर स्वयं के दिल्ली में होने की जानकारी दी गई। सूचना प्राप्त होते ही एएचटीयू टीम ने तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस सेल की सहायता से मोबाइल नंबर की लाइव लोकेशन प्राप्त की, जो चांदनी चौक, नई दिल्ली में पाई गई। इस सूचना पर एएचटीयू के उपनिरीक्षक अनिल कुमार कुशवाहा एवं उपनिरीक्षक गुलाब सिंह तत्काल नई दिल्ली रवाना हुए तथा तकनीकी साक्ष्यों एवं स्थानीय स्तर पर गहन खोजबीन करते हुए बालक को चांदनी चौक स्थित एक टेंट हाउस से सकुशल बरामद कर लिया।

पूछताछ में बालक ने बताया कि घर में अपनी बहन के साथ टीवी रिमोट को लेकर हुए एक मामूली विवाद के बाद वह नाराज होकर घर से निकल गया था। वह विभिन्न साधनों से दिल्ली पहुंच गया और वहां एक टेंट हाउस में कार्य करने लगा। बालक ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसके साथ किसी प्रकार की मानव तस्करी, शोषण अथवा अन्य आपराधिक घटना नहीं हुई थी, किंतु माता-पिता के डर के कारण वह घर वापस नहीं लौट रहा था।

बरामदगी के उपरांत बालक का बयान दर्ज कराते हुए आवश्यक मेडिकल एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उसे परिजनों से मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

इस अवसर पर किरन यादव, आईपीएस, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध), कमिश्नरेट लखनऊ ने बताया कि एएचटीयू के कार्यों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। यूनिट को तकनीकी अन्वेषण, डिजिटल ट्रैकिंग, सोशल मीडिया एवं संचार माध्यमों के विश्लेषण के साथ-साथ मानव स्रोतों (Human Intelligence) के विकास पर विशेष रूप से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे गुमशुदा बच्चों, महिलाओं एवं मानव तस्करी से जुड़े मामलों का शीघ्र और प्रभावी अनावरण किया जा सके।

उन्होंने बताया कि एएचटीयू द्वारा पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की गई हैं। गत माह भी एएचटीयू ने लगभग चार वर्षों से गुमशुदा एक किशोरी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से मिलाने का सराहनीय कार्य किया था। वर्तमान प्रकरण में लगभग 10 माह से गुमशुदा बालक की बरामदगी एएचटीयू की प्रतिबद्धता, पेशेवर दक्षता एवं संवेदनशील पुलिसिंग का एक और उदाहरण है।

उन्होने आमजन से यह भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल शोषण, जबरन मजदूरी, भिक्षावृत्ति गिरोह, महिलाओं एवं बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त अथवा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो वह ऑर्गनाइज्ड क्राइम हेल्पलाइन नंबर 7839861034 पर गोपनीय रूप से सूचना उपलब्ध करा सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

02-मुकदमे का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2025 को थाना गुड़म्बा कमिश्नरेट लखनऊ पर वादी श्री छोटू शुक्ला पुत्र स्व0 बावन शुक्ला निवासी – कुर्सी रोड, मिश्रपुर रोड डिपो, समीप डिपो चौराहा, गुड़म्बा लखनऊ की तहरीरी सूचना पर अपने पुत्र अजय शुक्ला के गुमशुदा होने के सम्बन्ध मे थाना गुड़म्बा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के 04 माह व्यतीत होने जाने के उपरान्त श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के आदेश पर थाना ए0एच0टी0 में स्थानान्तरित होने के पश्चात उ0नि0 श्री अनिल कुमार कुशवाहा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

03-बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार कुशवाहा थाना ए.एच.टी. कमि0 लखनऊ
2. उ0नि0 श्री गुलाब सिंह थाना ए.एच.टी. कमि0 लखनऊ

जारीकर्ता थाना AHT क्राइम ब्रांच लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-919

दिनांक-04.06.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसलाकर विवाह के लिए राजस्थान में बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़।**
- **03 अभियुक्त 1 बाल अपचारी गिरफ्तार।**
- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम की कार्यवाही।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

थाना मोहनलालगंज क्षेत्रांतर्गत दिनांक-12.05.2026 को वादिनी कमलेशा पत्नी मुरली निवासी ग्राम गनियार थाना मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग नातिन उम्र 16 व 12 वर्ष जो उनके पास रह रही थीं, को उनके रिश्तेदार **बाल अपचारी** द्वारा अपने साथी **प्रिया पटेल निवासी भदोखर राही,जनपद रायबरेली के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है।** प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर तत्काल मु0अ0सं0-175/2026, धारा-137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही विवरणः-

- प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बच्चों की शीघ्र बरामदगी हेतु तत्काल **पुलिस उपायुक्त महोदय दक्षिणी** द्वारा **04** पुलिस टीमों का गठन किया गया व 01 पुलिस टीम को सादे वस्त्रों में भी लगया गया।
- पुलिस टीमों द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए आसपास के क्षेत्रों के करीब 150 सीसीटीवी फुटेज का गहन निरीक्षण किया गया बच्चों के पास उपलब्ध मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने के बावजूद पुलिस द्वारा सतत प्रयास जारी रखा गया। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त दोनों बच्चों को नामित अभियुक्ता **बाल अपचारी एवं प्रिया पटेल** द्वारा ही ले जाया गया है।
- पुलिस टीमों द्वारा टेक्निकल व मैनुएल साक्ष्यो के द्वारा दोनों नाबालिग बालिकाओं को **दिनांक-18.05.2026** को सकुशल बरामद किया गया। बालिकाओं के बयान अंतर्गत धारा-180/183 बीएनएसएस से खुलासा हुआ कि **अभियुक्त अनुराग यादव, प्रिया पटेल, एक बाल अपचारी** द्वारा बच्चों (पीड़िताओं की रिस्तेदार) से दोस्ती कर **उनकी शादी हेतु बेंचने की नियत से राजस्थान (कोटा) ले जाया गया था।**
- दिनांक-03.06.2026 पुलिस टीम द्वारा 1.अनुराग यादव 2. मोहम्मद अख्तर 3. प्रिया पटेल 4. एक बाल अपचारी को अतरौली क्रॉसिग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. अनुराग यादव पुत्र देवेन्द्र प्रताप यादव उम्र 25 वर्ष नि0 पूरेपडरक कोडरस बिजुर थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।
2. अख्तर पुत्र मो0 आयूब नि0 ग्राम कोरिहर सताव थाना गुरुबक्सगंज रायबरेली उम्र 32 वर्ष हाल पता राणानगर अलीसाहाट कानपुर रोड रायबरेली।

3. प्रिया पटेल उर्फ शीला पुत्री पृथ्वी पाल नि0 पूरेभोला मेजरगंज थाना भदोखर जनपद रायबरेली उम्र 23 वर्ष।

4. बाल अपचारी उम्र 17 वर्ष।

04-मॉडस ऑपरेन्डीः-

अभियुक्ता प्रिया पटेल ने बताया कि उसकी मुलाकात सोनम (निवासी कोटा, राजस्थान) से वर्ष 2020 में उसकी एक रिश्तेदार के यहां रायबरेली में आयोजित एक शादी समारोह में हुई थी। उसी दौरान सोनम ने उसे बताया था कि गरीब एवं सुंदर लड़कियों की राजस्थान में शादी कराकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और यदि वह ऐसी लड़कियां उपलब्ध कराएगी तो उसे भी अच्छा पैसा मिलेगा।

इसके बाद प्रिया पटेल उर्फ शीला अपने पुरुष मित्र अनुराग यादव के साथ पिछले लगभग 02 वर्षों से रायबरेली में किराये के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। प्रिया अपने साथी मो0 अख्तर एवं अनुराग यादव के साथ मिलकर ऐसी महिलाओं/बालिकाओं की तलाश करती है, जिनके माता-पिता न हों अथवा जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, ताकि वे इनके विरुद्ध थाने पर जाकर शिकायत दर्ज न करा सकें। **प्रिया एवं अनुराग इस पूरे गिरोह में मुख्य भूमिका निभाते हैं।** ये लोग ऐसी लड़कियों को ढूंढकर उन्हें घुमाने-फिराने एवं नए कपड़े दिलाने का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके उपरांत राजस्थान के जनपद कोटा स्थित बम्बौरी नामक स्थान पर, जहां सोनम एवं उसके पति भूपेन्द्र चौधरी बालिकाओं की पैसे लेकर शादी कराते हैं। वहां भेजने से पहले प्रिया, अनुराग एवं उनके सहयोगी बालिकाओं की तस्वीरें व्हाट्सएप के माध्यम से सोनम को भेजते हैं।

तस्वीर देखने के पश्चात सोनम से पैसों की बात तय होती है। प्रिया उर्फ शीला ने पूछताछ में बताया कि एक लड़की की शादी कराने पर उसे सोनम एवं उसके पति भूपेन्द्र चौधरी द्वारा लगभग 01 से 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं।

थाना मोहनलालगंज की वर्तमान घटना में प्रिया पटेल ने राय बरेली में अपने मोहल्ले में रहने वाली बाल अपचारी से मुलाकात की, उक्त बाल अपचारी की मासी मोहनलालगंज में पीड़िताओं के पडोस में रहती है, जो आपस में रिश्तेदार है। प्रिया उर्फ शीला ने उसी बाल अपचारी की सहायता से पीड़िताओं को यह कहकर बहला-फुसलाया कि चलो तुम्हें तुम्हारी मां से मिला दें, जो कई वर्षों से कहीं चली गई है। उनकी बातों में आकर दोनों नाबालिग पीड़िताएं इनके साथ चली गईं।

अभियुक्तगण दोनों बालिकाओं को पहले रायबरेली ले गए, जहां प्रिया उन्हें अपने कमरे पर ले गई और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए गए। तत्पश्चात उनकी फोटो राजस्थान स्थित अपनी सहयोगी सोनम एवं उसके पति को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई, जहां से उन्हें निर्देश मिला कि बालिकाओं को लेकर आओ, उनकी शादी कराने पर अच्छा पैसा मिल जाएगा।

अभियुक्तगणों द्वारा इससे पूर्व भी रायबरेली की दो बहनों को शादी हेतु सोनम एवं उसके पति भूपेन्द्र चौधरी को बेच चुके हैं।

बरामदगीः-

- 02 अदद गाडी 04 पहिया (घटना में प्रयुक्त) बरामद।

गिरफ्तारी टीमः-

थाना मोहनलालगंज लखनऊ पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-924

दिनांक-04.06.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-अमीनाबाद

- फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देने वाले 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी परीक्षा मे अभियुक्त से कूटरचित आधार कार्ड आदि प्रपत्र बरामद किये गये।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री पवन कुमार सिंह केन्द्र व्यवस्थापक विद्यान्त हिन्दू इण्टर कालेज अमीनाबाद लखनऊ की तहरीरी सूचना पर-1. मु0अ0सं0- 40/2026 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/336(4)/340(2) बीएनएस व 8/13(5)उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना अमीनाबाद लखनऊ , बावत अभियुक्त राम मनुज पुत्र सुरजू निवासी ग्राम अरुसा आजमपुर बसखारी थाना हंसवर जिला अम्बेडकर नगर द्वारा फर्जी आधार कार्ड व प्रवेश पत्र व प्रपत्र CR – 8 अभ्यर्थी जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र कुलफ सिंह यादव पता पखना फरुखाबाद के नाम से बनाकर फर्जी तरीके से टीजीटी की प्रथम पाली में परीक्षा देने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में ले जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त को उ0नि0 श्री अंगद कुमार यादव को सुपुर्द कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

2.कार्यवाही विवरणः-

उपरोक्त घटना में पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी के निर्देशन में थाना अमीनाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 03.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राम मनुज पुत्र सुरजू निवासी ग्राम अरुसा आजमपुर बसखारी थाना हंसवर जिला अम्बेडकर नगर को विद्यान्त हिन्दू इंटर कालेज अमीनाबाद से दिनांक 03.06.2026 को समय 17.00 बजे गिरफ्तार किया गया पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं मेडिकल की परीक्षा की तैयार कर रहा हूं टेस्ट सीरीज लेकर तैयारी का पेपर देता हूं एक व्यक्ति पंकज जो आजमगढ़ के रहने वाले बताते थे मुझे कानपुर में काकादेव में मिले और कहा कि कब तक घर से खर्च चलाओगे कुछ कमा लो मैं उनकी बातों में आ गया पंकज ने ही सारे कागज तैयार कराकर मुझे दिये थे मैं जितेन्द्र सिंह यादव के स्थान पर टीजीटी की परीक्षा विद्यांत हिन्दू इंटर कालेज अमीनाबाद लखनऊ में देने आया था मै जितेन्द्र सिंह यादव के बारे में कुछ नही जानता हूं। सहअभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र कुलफ सिंह यादव पता पखना फरुखाबाद का नाम प्रकाश मे लाया जाता है एवं पंकज के विरुद्ध साक्ष्य संकलन कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- राम मनुज पुत्र सुरजू निवासी ग्राम अरुसा आजमपुर बसखारी थाना हंसवर जिला अम्बेडकर नगर

04- अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 40/2026 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/336(4) /340(2) बीएनएस व 8/13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना अमीनाबाद , कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्र0नि0 सुनील कुमार आजाद थाना अमीनाबाद लखनऊ।
- उ0नि0 श्री अंगद कुमार यादव थाना अमीनाबाद लखनऊ।
- का0 गगन सिंह थाना अमीनाबाद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-920
दिनांक 04.06.2026

जोन- मध्य / थाना- हुसैनगंज

- ***प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा में कूटरचना कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुये 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***
- ***थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा की गयी बड़ी कार्यवाही।***

01 - कार्यवाही -

पुलिस आयुक्त महोदय और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशानुसार, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस उपायुक्त (मध्य) के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा सहायक पुलिस आयुक्त (हजरतगंज) के मार्गदर्शन में, थानाध्यक्ष हुसैनगंज के नेतृत्व में थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा में कूटरचना कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुये 01 नफर शातिर अभियुक्त राजेश प्रताप सिंह पुत्र नागेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम चौकी कलॉ, पोस्ट बरनियांव थाना मीरगंज जनपद जौनपुर को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के खिलाफ विधिक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

02 – संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 03.03.2026 को केन्द्र व्यवस्थापक बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी विजय प्रताप सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह के स्थान पर एक अन्य बाहरी व्यक्ति कूटरचित (जाली) दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर अवैध रूप से परीक्षा दे रहा है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0077/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/ 338/340(2) बीएनएस व 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश - 2024 पंजीकृत हुआ।

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 03.03.2026 समय करीब 19.30 बजे अभियुक्त राजेश प्रताप सिंह पुत्र नागेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम चौकी कलॉ, पोस्ट बरनियांव थाना मीरगंज जनपद जौनपुर को बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही।

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0077/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश - 2024 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजेश प्रताप सिंह पुत्र नागेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम चौकी कलॉ, पोस्ट बरनियांव थाना मीरगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 49 वर्ष।

05-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद आधार कार्ड।
- 01 अदद प्रवेश पत्र।
- 01 अदद पर्स।
- 01 अदद मोबाइल फोन वीवो।
- 01 अदद चार पहिया वाहन सं0 UP70 HJ 5751
- 01 अदद किताब हिन्दी साहित्य 2023।
- 01 अदद ब्लैंक चेक।
- 01 अदद एटीएम कार्ड।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 मुरलीधर मिश्रा, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 अजय कुमार भारती, थाना हुसैनगंज लखनऊ।